सं-008/वी.जी.एल./069
भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 7 अक्तूबर, 2008

**विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2008 का अनुपालन ।**

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह निर्णय लिया है कि आयोग की परामर्शी अधिकारिता में आने वाले सभी संगठनों द्वारा इस वर्ष **3 नवम्बर से 7 नवम्बर, 2008 तक** सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा । सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन 3 नवम्बर, 2008 को प्रात: 11.00 बजे प्रतिज्ञा लेने (प्रति सलंग्न) के साथ आरंभ किया जाना चाहिए ।

2. आयोग इस बात पर बल देता रहा है कि सार्वजनिक व्यय में दक्षता तथा पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल देने के लिए, विभागों/संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के उपभोक्ताओं के मध्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए किए गए उपायों तथा शिकायतों को दूर करने हेतु नागरिक उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उपयोग किया जाए ।

3. एक ऐसा उपाय, जो काफी प्रभावकारी पाया गया है, जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प ("पर्दाफाश संकल्प" के नाम से प्रसिद्व) के अंतर्गत शिकायतों को दर्ज करना है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग ऐसी शिकायतें प्राप्त करने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए मनोनीत प्राधिकरण है । यह अनुभव किया गया है कि इन शिकायतों के परिणामस्वरूप काफी अधिक तथा प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई होती है । अत: जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत शिकायत करने की प्रक्रिया का प्रचार करने हेतु सतर्कता जागरूकता सप्ताह का प्रयोग करने के प्रयत्न करने चाहिए तथा इस तथ्य को उजागर करना चाहिए कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है एवं शिकायतकर्ता को उत्पीड़न का शिकार होने से बचाया जाता है ।

4. यह सप्ताह किस प्रकार मनाया गया इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रत्येक संगठन द्वारा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को 1 दिसम्बर, 2008 तक भेज दी जाए ।

3. यह अधिसूचना केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाईट http:/cvc.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

हस्ता0
(के.एस. रामसुब्बन)
सचिव

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों/बैंकों/संगठनों के मुख्य कार्यपालक ।
6. मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उद्यमों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /बीमा कंपनियों/स्वायत्त संगठनों/समितियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।

## PLEDGE

WE, THE PUBLIC SERVANTS OF INDIA, DO HEREBY SOLEMNLY PLEDGE THAT WE SHALL CONTINUOUSLY STRIVE TO BRING ABOUT INTEGRITY AND TRANSPARENCY IN ALL SPHERES OF OUR ACTIVITIES. WE ALSO PLEDGE THAT WE SHALL WORK UNSTINTINGLY FOR ERADICATION OF CORRUPTION IN ALL SPHERES OF LIFE. WE SHALL REMAIN VIGILANT AND WORK TOWARDS THE GROWTH AND REPUTATION OF OUR ORGANISATION. THROUGH OUR COLLECTIVE EFFORTS, WE SHALL BRING PRIDE TO OUR ORGANISATIONS AND PROVIDE VALUE BASED SERVICE TO OUR COUNTRYMEN. WE SHALL DO OUR DUTY CONSCIENTIOUSLY AND ACT WITHOUT FEAR OR FAVOUR.

## प्रतिज्ञा

हम, भारत के लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।

भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

**GOVERNMENT OF INDIA**
**CENTRAL VIGILANCE COMMISSION**

सतर्कता भवन,
जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स, आई.एन.ए.
नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan
G.P.O. Complex, Block A, INA
New Delhi 110023

27 अक्तूबर, 2008

## संदेश

सतर्कता जागरूकता सप्ताह सभी सरकारी संगठनों में 3 नवम्बर से 7 नवम्बर, 2008 तक मनाया जाएगा । वर्ष का यह वह समय है जब हम लोभी-व्यवहार को समाप्त करने तथा लोक सेवाएं उच्चतम ईमानदारी, सच्चाई तथा दक्षता के साथ प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु परिस्थितियां उत्पन्न करने के निमित्त स्वंय को पुन: समर्पित करते हैं तथा अपनी वचनबद्धता को दोहराते हैं ।

2. आयोग एक सुस्पष्ट प्रणाली के विकास पर बल देने वाली निवारक सतर्कता गतिविधियों का उन्नयन देखना चाहेगा । सुपरिभाषित नियमों के आधार पर अ-विवेकाधीन निर्णय लेने के सिद्धांतो के कठोर अनुपालन को प्रोत्साहन देने वाली एक प्रणाली, घटना के तुरंत पश्चात अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता का निवारण करने में बहुत सहायक होगी । पुरानी कहावत "उपचार से रोकथाम बेहतर है" से बढ़कर इस संबंध में अधिक उचित वर्णन नहीं हो सकता ।

3. इस संबंध में सतर्कता प्रशासन के अध्यक्षों के रूप में भारत सरकार के सचिवों तथा सार्वजनिक उपक्रमों एवं सार्वजनिक बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की भूमिका पर बल दिए जाने की आवश्यकता नहीं है । सतर्कता, एक प्रबंधन उपाय है और इसलिए प्रतियोगिता, समानता तथा पारदर्शिता को प्रोत्साहन देकर दक्षता सुधार हेतु इसका प्रयोग अन्य उपायों के साथ सहक्रियात्मक रूप से किया जाना चाहिए ।

4. भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष एक इतना गंभीर कार्य है जिसे केवल सरकारी संगठनों में सतर्कता के अध्यक्षों अथवा आयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता । नागरिक समाज तथा नागरिकों को इस संघर्ष में एक अधिक प्रभावी तथा अग्रसक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए । इस प्रयास में जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 का सहारा विशेषकर महत्वपूर्ण है जिसके अंतर्गत शिकायतकर्ता "पर्दाफाशों" के रूप में आयोग से सीधे संपर्क कर सकते हैं । पर्दाफाशों की सुरक्षा तथा पहचान सुरक्षित रखने के लिए आयोग वचनबद्ध है तथा यह ऐसे और अधिक व्यक्तियों से आग्रह करता है कि वे जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 का लाभ लेकर सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को अनावृत करने के लिए आगे आएं ।

ह0/-
(सुधीर कुमार)
सतर्कता आयुक्त

ह0/-
(रंजना कुमार)
सतर्कता आयुक्त

ह0/-
(प्रत्यूष सिन्हा)
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त